रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2014
अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित ग्लासफाइबर अथवा उससे बनी वस्तुओं के आयात पर लगाई गई पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीधा ।

सं. 14/21/2013-डीजीएडी.—क पृष्टभूमि

जबकि समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) तथा समय-समय संशोधित सीमा-शुल्क (पाटित वस्तुओं पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे बाद में 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है) के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे बाद में 'प्राधिकारी' कहा गया है) ने दिनांक 6 जनवरी, 2011 के अधिसूचना संख्या 14/28/2009-डीजीएजी के माध्यम से ग्लास रोबिंग (ऐसेम्बलड रोबिंग (एआर), डायेरक्ट रोबिंग (डीआर) ग्लास चौपड स्टेण्ड (सीएस), ग्लास चौपड स्टेण्ड मैक्स (सीएसएम) सहित ग्लास फाइबर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अपने अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित किया । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से चीन गणराज्य में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित जिसे बाद में 'संबद्ध देश' कहा गया है) ग्लासबूल, फाइबर, ग्लासबूल, बूल फार्म में फाइबर ग्लास इंसूलेशन, ग्लास यार्न, ग्लाब वूवन रोबिंग तथा थर्मोप्लस्टिक प्रयोग के उद्देश्य से चौपड स्टेण्ड, बैट्री स्परेटर में प्रयुक्त माइक्रो ग्लासफाइबर, सरफेस मेट/सरफेस वैल/टिशु (जिसे बाद में विचाराधीन सामान' कहा गया है) हैं ।

2. और जबकि दिनांक 04 मार्च, 2011 के सीमा शुल्क अधि सूचना संख्या 30/2011 तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 के शुद्धि पत्र के माध्यम से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

3. और जबकि इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली में अन्य बातों के साथ प्राधिकारी से समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने की अपेक्षा है । मैं, रमन फाइबर साईंस प्रा. लिमि. बैग्लोर ने चीन गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबंद्ध वस्तुओं पर पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए एक आवेदन दायर किया है तथा पूर्व में लगाये गये पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से बिना अंत्य उपयोग के माइक्रोग्लास फाइबरों को बाहर निकालने का अनुरोध किया है । विधिवत स्थापित अनुरोध पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने विचार किया कि पूर्व में सिफारिश की गई पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ए) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9ए (5) के प्रावधानों के अंतर्गत इस समय उपयुक्त होगा । मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र इस बात की जांच करने तक सीमित था कि क्या बिना अंत्य उपयोग प्रतिबंध के माइक्रो ग्लास फाइबरों को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर पूर्व में लगाई गई पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से बाहर किया जाना अपेक्षित है ।

4. उपर्युक्त पृष्टभूमि प्राधिकारी ने दिनांक 19 दिनांक 19 सितम्बर 2013 को एक सार्वजनिक सूचना निकाली जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें दिनांक 6 जनवरी, 2011 के उपर्युक्त अंतिम जांच परिणाम की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने की सूचना दी गई, जिसके अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 4 मार्च, 2011 के सीमा-शुल्क अधिसूचना तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 के शुद्धिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया ।

ख प्रक्रिया

5. वर्तमान प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार पालन किया गया है :

(i) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश

के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों तथा घरेलू उद्योग को इसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को प्रारंभ करने संबंधी सूचना की प्रतिलिपि भेजी । इस जांच के पक्षों से अपने जवाब दायर करने तथा निर्धारित सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था ।

ज्ञात निर्यातक :

(क) चोनगकिंग पोलीकॉम इन्टरनेशनल क्रॉप डादूकॉउ जिला चौनकिंग, चीन- 400082.

(ख) जुशी ग्रुप कं. लि., 699 वेनहम रोड (साउथ), टॉगझिआँग इकोनोमिक डेवेलमेंट जॉन, टॉगझिग सिटी, झियांग प्रोविन्स-314500, चीन ।

(ग) तैयशान फाइबरग्लास इंक., इकोनोमिक डेवेलेपमेंट जॉन, ताईयान, शांगडॉग, चीन ।

(घ) जिबो पीपीजी सिनोमजिझिंग फाइबर ग्लास कम्पनी लिमि., 202 झोनझिंग रोड जिबो, शानडॉग प्रोविन्स-255086

(ङ) जुशी ग्रुप कं. लिमि., (यहां बाद में 'जुशी टॉगझिआँग' के रूप में संदर्भित)

(च) सीएनबीएम इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन

(छ) जुशी ग्रुप जिउजियांग कं. लिमि.,

(ज) चॉगजूउ न्यू चांगुहेई फाइबरग्लास कं. लिमि., (''एनसीएच'') ।

(झ) जिआंगसू चेनगुडू कं. लिमि.,

(ञ) तेशान फाईबरग्लास इंक. (सीटीजी और द कम्पनी) (सीटीजी और द कम्पनी) ।

(त) तेशान फाईबरग्लास चाडचेंग कं. लिमि. (''चाउचेंग'' द कम्पनी)

(थ) सिनोमाजिनझिंग फाइबर ग्लास कं. लिमि.

(द) शानडॉग एस्टे न्यू मेटेरियल कं. लिमि.

(ध) चीन नेशनल मेटेरियल इंडस्ट्री इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट कारपोरेशन (सिनोमा इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट, द कम्पनी)

(ण) शानडॉन तैशान-पीडीओ ग्लास फाईबर प्रोडेक्ट कं. लिमि. (''पीडीओ'', द कम्पनी)

(ट) पीपीजी सिनोमझिनझिंग फाइबर ग्लास कम्पनी, लिमि.

(ठ) सिनोमझिनझिंग फाईबर ग्लास कम्पनी लिमि.

ज्ञात आयातक :

(क) केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमि.

(ख) पेनटेयर वॉटर इण्डिया प्रा. लिमि.

(ग) एमिएनटिट फाईबरग्लास इण्डिया लिमिटेड

(घ) सुन्दरम क्रेक लिनइन्स लिमि.

(ङ) ग्राफिट इण्डिया लिमि.

(च) इंडोर कम्प्रोसाइट प्रा. लिमि.

(छ) ईपीपी कम्पोसाइट्स प्रा. लिमि.

(ज) बालाजी फाइबर रिइन्फोर्समेंट प्रो. लिमि.

(झ) ओ. के. ग्लास फाइबर लिमिटेड

(ञ) जुशी (इण्डिया) एफआरपी ऐसेसोरिज प्रा0 लि.

(त) स्काई फाइबरग्लास सोल्यूशन प्रा0 लिमि.

(थ) अरावी कम्पोजिट प्रा. लिमि.

(द) प्रेसिफक पाइप सिस्टम प्रा. लिमि.

(ध) कुश सेन्थेटिक लिमि.

एसोसिएशनः

(क) फेडरेशन ऑफ इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

(ख) एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

(ग) कंफेडेरेशन ऑफ इण्डियन इंडस्ट्री

घरेलू उत्पादक

(क) मैसर्स आवेन कॉरनिंग इंडिया लिमिटेड, मुम्बई

(ख) मैसर्स ओसीवी रिइनफोर्समेंट मैन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड, हैदराबाद

(ii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया ।

(iii) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई । संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को न दिये जाने पर विचार किया गया है । जहां भी संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का अगोपनीय पाठ देने का निर्देश दिया गया था ।

(iv) पाटनरोधी नियमावली की नियम 6(6) के अनुरूप, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को 30-12-2013 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप से देने का अवसर भी प्रदान किया । हालांकि याचिकाकर्ता सहित किसी हितबद्ध पक्ष ने सुनवाई में भाग नहीं लिया ।

(v) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुरूप, इन निष्कर्षों के लिए विचार किये गये आवश्यक तथ्यों/आधारों को एक प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से 13 जनवरी, 2014 को ज्ञात हितबद्ध पक्षों को 20 जनवरी, 2014 तक अपनी टिप्पणियां देने के अनुरोध के साथ बता दिया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी, 2014 तक बढ़ा दी गई थी । तथापि, केवल मै. रमन फाइबर साइंस प्रा. लि. से उत्तर प्राप्त हुआ था ।

ग विचाराधीन उत्पाद

6. मूल जांच में तथा वर्तमान समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ग्लास रोबिंग (ऐसेम्बलड रोबिंग (एआर), डायरेक्ट रोबिंग (डीआर) ग्लास चौपड स्टेण्ड(सीएस), ग्लास चौपड मैक्स (सीएसएम)

सहित ग्लास फाइबर है । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से चीन गणराज्य में उत्पन्न अथवा वहां से निर्यातित ग्लासबूल, फाइबर ग्लासबूल, बूल फार्म में फाइबर ग्लास इंसूलेशन, ग्लास यार्न, ग्लाब वूवन फेबरिक्स, ग्लास फाइबर फेबरिक्स, ग्लाब वूवन रोविंग तथा थर्मोप्लास्टिक प्रयोग के उद्देश्य से चौपड स्टेण्ड, बैट्री स्परेटर में प्रयुक्त माइक्रो ग्लासफाइबर, सरफेस मेट/सरफेस वैल/टिशु है । ग्लास फाइबर एकीकृत सामान विवरण और कोडिंग प्रणाली के आधार पर आईपीसी वर्गीकरण में उपशीर्ष 7019 के अंतर्गत शुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

7. जैसा कि दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना में उल्लेख किया गया, मध्यावधि समीक्षा जांच इस बात की जांच करने तक सीमित था कि क्या बिना अंत्य उपयोग प्रतिबंध के माइक्रो ग्लास फाइबरों को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर पूर्व में दिनांक 6 जनवरी, 2011के डीजीएडी अधिसूचना संख्या 14/28/2009-डीजीएडी के माध्यम से की गई सिफारिश तथा दिनांक 4 मार्च, 2011 के सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2011 तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 के शुद्धि पत्र के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है ।

घ याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

8. मैसर्स रमन साईंस प्रा. लिमि. (यहां बाद में 'याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने अपनी याचिका में निम्नलिखित का उल्लेख किया है:

(i) वे उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए विशेष कम्पोजिट वेब के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं तथा उन्होंने उच्च कार्यक्षमता वाले पार्टिकल एयर (एचईपीए) फील्टर मीडिया विकसित किया है तथा उसका सफलतापूर्वक व्यापार किया है । एचईपीए फील्डर मीडिया न्यूक्लियर पॉवर प्लांटस के लिए उनके सुरक्षित कार्यचालन हेतु आवश्यक है और उन्हें सतत रूप से बदले जाने की आवश्यकता है । वैश्विक प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध अपने उत्पाद का परीक्षण करने तथा वाणिज्यिक रूप से अनुमोदन करने के उद्देश्य से उन्हें प्रतिस्पर्धा दरों पर प्रमुख कच्चा माल अर्थात् माइक्रों ग्लास फाइबर (एमजीएफ) तथा उनकी गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा करने के लिए भी आयात करने की आवश्यकता है ।

(ii) माइक्रो ग्लास फाइबर (एमजीएफ) की तकनीकी विशेषताएं ग्लास फाइबर से अलग हैं तथा एमजीएफ बनाने के लिए प्रक्रिया भी अलग है । एमजीएफ का मुख्य उपयोग बैट्री सपेरटर, वायु तथा तरल फिल्टर मीडिया में होता है । फिल्टर मीडिया में भी, एमजीएफ का प्राथमिक उपयोग बहुत महीन फिल्टरों अर्थात् उच्च कार्यक्षमता पार्टिकल एयर (एचईपीए) तथा बहुत हल्की पार्टिकल एयर (यूएलपीए) मीडिया में होता है जिसका उपयोग न्यूक्यिर पॉवर प्लांट, फार्मा, बायो-टेकनोलॉजी, सेमीकन्डक्टर तथा ब्लड फिल्टरेशन/ डायलिसिस जैसे चिकित्सीय उपयोगों के लिए किया जाता है ।

(iii) एमजीएफ का उपयोग करने के लिए लौ कम करने की प्रक्रिया में एमजीएफ की लागत का 80 प्रतिशत से अधिक प्रमुख इनपुट के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है तथा इस कारण से एमजीएफ केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाता है वहां प्राकृतिक गैस काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं क्योंकि अन्यथा यह महंगा हो जाएगा । एलएनजी तथा एलपीजी दोनों का उपयोग न तो नियमित पाइण्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के साथ भारी लागत अंतर के कारण संभव नहीं है । दूसरे एमजीएफ का भारी घनत्व बहुत अधिक है जिसके कारण उसकी ढुलाई लागत अधिक हो जाती है और इसलिए एमजीएफ का विनिर्माण केवल वहीं होता है जहां पास में इसकी खपत अधिक होती है ।

(iv) उपर्युक्त उल्लिखित कारणों से एमजीएफ केवल दो कम्पनियों द्वारा (i) यूनाइटिड इस्टेट में जॉन मैनविले कॉप तथा (ii) जर्मनी में लॉसा फाइबर तथा चीन में कुछ कम्पनियों द्वारा बनाया जाता है । याचिकाकर्ता ने आगे उल्लेख किया कि भारत में एमजीएफ का कोई भी विनिर्माता नहीं है । याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि भारत में प्रयोग किये जाने वाले सभी एमजीएफ का आयात उपर्युक्त किसी एक अथवा अन्य स्रोतों से किया जा रहा है तथा एमजीएफ आयात के फलस्वरूप ग्लास फाइबर के घरेलू उत्पादक को बिलकुल नुकसान नहीं होता है ।

(v) याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि इसकी बहुत स्पष्ट उच्च ऊर्जा गहन निम्न मात्रा विनिर्माण प्रक्रिया को देखते हुए, विश्व में एमजीएफ की कीमतें परम्परागत ग्लास फाइबर से बहुत अधिक-परम्परागत ग्लास फाइबर के लिए 1-2 यूएस डॉलर प्रति किलोग्राम की तुलना में 3-10 यूएस डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच है ।

(vi) भौतिक रूप से भी एमजीएफ बहुत साफ दिखता है और इसका सरफेस क्षेत्र परम्परागत ग्लास फाइबर के बाहर निकले हुये स्टेण्ड के ठीक विपरीत कपास ऊन जैसा होता है । इसका घनत्व बहुत अधिक है और इसके फाइबर का डायमीटर बहुत महीन है तथा इसकी अन्य विशेषताएं इसे परम्परागत सुदृढ़ीकरण संबंधी प्रयोगों के लिए उपयोग किये जाने लायक नहीं है, जिसमें नियमित ग्लास फाइबर का उपयोग किया जाता है । अत: एमजीएफ और परम्परागत ग्लास फाइबर वाणिज्यिक रूप से एवं भौतिक रूप से प्रतिस्थापित किये जाने योग्य नहीं है ।

(vii) डीजीएजी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने संबंधी दिनांक 6 जनवरी, 2011 के अपने अंतिम जांच परिणाम में माना था कि ''चीन से आयातित माइक्रो ग्लास फाइबर एक विशिष्ट उत्पाद है और यह ग्लास फाइबर से अलग है । इसका उपयोग बैट्री सपेरेटरों तथा उच्च कार्यक्षमता वाले वायु एवं तरल फील्टर मीडिया के विनिर्माण में किया जाता है तथा इसकी एक विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया है । इस विशिष्ट निम्न डायमीटर वाले ग्लासफाइबर का कोई घरेलू विनिर्माता नहीं है। इसके अलावा माइक्रो अलावा ग्लास फाइबर का आयात सेपेरेटरों का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है जिनका उत्पादन भारत में पहली बार किया जा रहा है । माइक्रो

ग्लासफाइबर के आयात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नही हुआ है । तथापि डीजीएडी ने दिनांक 06-01-2011 के अपने अंतिम जांच परिणाम में बैट्री सेपरेटरों में एमजीएफ के उपयोग को मान्यता दी थी तथा उसे पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से छूट प्रदान की थी ।

(viii) एमजीएफ को इसकी विविध प्रकृति को देखते हुए कई अन्य संभावित रणनीति उपयोगों मे लाया जा सकता है । एमजीएफ का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है और एमजीएफ का विनिर्माण करने वाला कोई घरेलू उद्योग अस्तित्व में नहीं है । पूर्ववर्ती तथ्यों को देखते हुए याजिकाकर्ता का अनुरोध है कि बिना किसी अंत्य उपयोग प्रतिबंधों के एमजीएफ को दिनांक 06 जनवरी, 2011 के पाटनरोधी शुल्क सिफारिश अधिसूचना के क्षेत्र से बाहर किया जाये ।

ङ घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

9. घरेलू उद्योग में निम्नलिखित अनुरोध किया है:

(i) मै. ओवन्स कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लिमि. हैदराबाद ने दिनांक 01-10-2013 के अपने पत्र में कहा है कि वे मध्यावधि समीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत 'माइक्रोग्लास फाइबर' का न तो उत्पादन करने हैं और न ही बिक्री करते हैं और इसलिए जांच के परिणाम से इसके प्रभावित होने की संभावना नहीं है । उन्होंने आगे कहा है कि मैसर्स रमन फाइबर साईंस द्वारा दायर आवेदन का समर्थन करते हैं । उन्होंने इस प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क से 03 से 2.5 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लास को छूट देने का अनुरोध किया है ।

(ii) मैं, ओवन्स कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लिमि. मुम्बई ने दिनांक 01-10-2013 के अपने पत्र में कहा कि वे मध्यावधि समीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत 'माइक्रोग्लास फाइबर' का न तो उत्पादन करने हैं और न ही बिक्री करते हैं और इसलिए जांच के परिणाम से इसके प्रभावित होने की संभावना नहीं है । उन्होंने आगे कहा है कि मैसर्स रमन फाइबर साईंस द्वारा दायर आवेदन का समर्थन करते हैं । उन्होंने इस प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क से 03 से 2.5 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लास को छूट देने का अनुरोध किया है ।

च प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा किय गये अनुरोधों, तर्कों तथा साक्ष्यों एवं रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर ध्यान दिया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स रमन फाइबर साईंस प्रा. लिमि. ने पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से 03 से2.5 माइक्रोन वाले फाइबर डायमीटर के माइक्रोग्लास फाइबर को बाहर करने का अनुरोध किया है क्योंकि संबद्ध सामानों का कोई घरेलू उत्पादक भारत में उसका निर्माण नहीं करता है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता का उपर्युक्त दावा दो घरेलू उत्पादकों मैसर्स ओवन्स कॉर्निन इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लिमि. हैदराबाद तथा मैसर्स ओवन्स कॉर्निन इंडस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लिमि. ने स्वीकार किया है जिसके अनुरोध पर पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी तथा जिसके अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क वर्तमान में संबद्ध सामानों पर लागू है । कोई अन्य हितबद्ध पक्ष ने इस मामले का जवाब नहीं दिया है । प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि मैसर्स रमन फाइबर साईंस ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से कहा था कि उन्होंने दोनों घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर जवाबों की जांच कर ली है और वे उनके द्वारा प्रस्तावित माइक्रोग्लास फाइबर के विनिर्देश से सहमत हैं । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि 0.3 से 2.5 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लास फाइबर तथा परम्परागत ग्लास फाइबर को वाणिज्यिक रूप से तथा भौतिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है । अत: प्राधिकारी मानता है कि मैसर्स रमन फाइबर साईंस प्रा. लिमि. के अनुरोध को स्वीकार करना उचित होगा तथा याह पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से 0.3 से 2.5 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लास फाइबर बाहर रखने की सिफारिश करेगा ।

11. प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ किया गया था । तथापि, मै. रमन फाइबर साइंस प्रा. लि. से उत्तर प्राप्त हुआ था जिन्होंने अपने उत्तर में यह बताया है कि वे प्रकटन विवरण के बिन्दु छ 11 और छ12 के अनुसार अंतिम निष्कर्ष और सिफारिश से सहमत हैं ।

छ निष्कर्ष और सिफारिश

12. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए कार्यकारी की सिफारिश है कि 0.3-2.5 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रोग्लाग फाइबर को दिनांक 6 जनवरी, 2011 के डीजीएडी अधिसूचना संख्या 14/28/2009-डीजीएडी के माध्यम से की गई सिफारिश तथा दिनांक 4 मार्च, 2011 के सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2011 तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 के शुद्धि पत्र के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है ।

13. तदनुसार प्राधिकारी की सिफारिश है कि दिनांक 6 जनवरी, 2011 के प्राधिकारी के पूर्व के अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14ध 228/2009-डीजीएजी में उल्लेखित शुल्क तालिका के अंतर्गत दिये गये फुट नोट को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये :

"* ग्लास रोबिंग (ऐसेम्बलड रोबिंग (एआर), डायरेक्ट रोबिंग (डीआर) ग्लास चौपड स्टेण्ड (सीएस), ग्लास चौपड स्टेण्ड मैक्स (सीएसएम) सहित ग्लास फाइबर । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से ग्लासबूल, फाइबर ग्लासबूल, बूल फार्म में फाइबर ग्लास इंसूलेशन, ग्लास यार्न, ग्लाब वूवन फेबरिक्स, ग्लास फाइबर फेबरिक्स, ग्लाब वूवन रोबिंग तथा थर्मोप्लास्टिक प्रयोग के उद्देश्य से चौपड स्टेण्ड, 0.3 से 205 माइक्रोन के फाइबर डायमीटर वाले माइक्रो ग्लासफाइबर , सरफेस मेट/टिशु को निकाला गया है ।"

छ आगे की प्रक्रिया

14. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमा-शुल्क अधिनियम 1975 के संगत प्रावधानों के अनुरूप सीमा-शुल्क उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING & ALLIED DUTIES

New Delhi, the 10th February, 2014

FINAL FINDINGS

Subject: Mid-term review of anti-dumping duty imposed on imports of glass fibre and articles thereof originating in or exported from China PR

No. 14/21/2013-DGAD.— A BACKGROUND

Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time, (herein after referred to as the' AD Rules'), vide Notification No. 14/28/2009-DGAD dated 6thJanuary, 2011 the Designated Authority (herein after referred to as 'the Authority') notified its final findings for imposition of Anti-Dumping Duty on import of glass fibre, including glass roving [assembled rovings (AR), direct rovings (DR)] glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/ surface veil/tissue (hereinafter referred to as 'subject goods') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as 'subject country').

2. And WHEREAS antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 30/2011 dated 4th March, 2011 and Corrigendum dated 31st March, 2011.

3. And WHEREAS the Act and the AD Rules, inter-alia, require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s Raman Fibre Science Private Limited, Bangalore has filed an application substantiating the need for initiating a Mid-Term Review of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in OT exported from China PR and has requested to exclude micro-glass fibres. without end- use restriction from the ambit and scope of the anti-dumping duty earlier imposed. Considering the duly substantiated request, the Authority considered that a mid-term review of the anti-dumping duty recommended earlier would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A (5) of the Act, read along with Rule 23(lA) of the Antidumping Rules. The scope of the mid-term review was restricted to examination of whether micro- glass fibres without end-use restriction are required to be excluded from the scope of the anti- dumping duty earlier imposed on the subject goods from the subject country.

4. In the above backdrop, the Authority issued a public notice dated 19th September, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Mid-term review of the aforesaid final findings dated 6th January, 2011, in pursuance of which the anti-dumping duty was notified vide Customs Notification dated 4th March, 2011 and corrigendum dated 31st March, 2011.

B PROCEDURE

5. In the present proceedings the procedure described herein below has been followed:

(i) The Authority sent copy of the initiation notification dated 19th September, 2013 to the Embassy of the subject country in India, the following known exporters from the subject country, importers and other interested parties and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file their response and make their views known in writing within the prescribed limit.

Known exporters:-

a) Chongqing Polycomp International Corp, Dadukou District, Chongqing, China- 400082.

b) Jushi Group Co. Ltd, 699 Wenham Road (South), Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang City, Zhejiang Province-314500, China.

c) Taishan FibergJass Inc., Economic Development Zone, Taian, Shangdong, China.

d) Zibo PPG SinomaJinjing Fiber Glass Co Ltd, 202 Zhongxin Road Zibo, Shandong Province- 255086.

e) Jushi Group Co Ltd (hereinafter also referred to as 'Jushi, Tongxiang')

f) CNBM International Corporation

g) Jushi Group Jiujiang Co Ltd.

h) Changzhou New Changhai Fiberglass Co. Ltd. ("NCH").

i) Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co Ltd (OCH)

j) Jushi Group Chengdu Co Ltd

k) Taishan Fiberglass Inc. (CTG or the Company) (CTG or the Company).

l) Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd. ("Zoucheng", the Company)

m) SinomaJinjing Fiber Glass Co Ltd

n) Shandong Aste New Materials Co Ltd

o) China National Materials Industry Import & Export Corporation (Sinoma Import & Export, the Company)

p) Shandong Taishan-POO Glass Fiber Products Co., Ltd. ("POO", the Company)

q) PPG SinomaJinjing Fiber Glass Company, Ltd.

r) SinomaJinjing Fiber Glass Co. Ltd.

Known Importers:-

a) Kemrock Industries & Exports Ltd.

b) Pentair Water India P Ltd

c) Amiantit Fibreglass India Limited

d) Sundaram Brake Linings Ltd

e) Graphite India Limited

f) lndore Composite Pvt. Ltd.

g) EPP Composites Pvt. Ltd.

h) Balaji Fibre Reinforcement Pvt. Ltd.

i) O. K. Glass Fibre Limited

j) Jushi (India) FRP Accessories Pvt. Ltd.

k) Sky Fibreglass Solutions Pvt. Ltd.

1) Aarvi Composites Pvt. Ltd.

m) Pacific Pipe Systems Pvt. Ltd.

n) Kush Synthetics Ltd.

Association:-

a) Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry

b) Associated Chamber of Commerce & Industry

c) Confederation ofIndian Industry

Domestic Producers:-

a) M/s. Owens Coming India Limited, Mumbai

b) M/s. OCV Reinforcement Manufacturing Limited, Hyderabad

(ii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

(iii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis

(iv) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 30.12.2013. However, none of the interested parties including the petitioner attended the hearing.

(v) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 13thJanuary, 2014 vide a disclosure statement with the request to offer their comments by 20th January 2014. On the request of one of the interested parties, the last date to submit the comments was extended till 28th January, 2014. However, response from only M/s Raman Fibre Science Private Ltd., was received.

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION

6. The product under consideration as in the original investigation and also in the present review application is glass fibre, including glass roving [assembled rovings (AR), direct rovings (DR)], glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats(CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue. Glass fibre is classified under. Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 7019 in the ITC classification based on harmonised commodity description and coding system.

7. As stated in the initiation notification dated 19 th September, 2013, this mid-term review investigation is restricted to the examination of whether micro glass fibre without end- use restriction can be excluded from the purview of anti-dumping duties recommended through DGAI) Notification No.l4/28/2009-DGAD dated 6th January, 2011 and imposed vide Customs Notification No.30/2011 dated 4thMarch, 2011 and corrigendum dated 31 "March, 2011.

D SUBMISSIONS MADE BY THE PETITIONER

8. M/s. Raman Fibre Science Private Ltd., (hereinafter referred to as 'Petitioner') has stated in their petition as follows:

(i) They are engaged in the development and manufacture of special composite webs for high technology applications and they had developed and successfully commercialised high efficiency particle air (HEPA) filter media. HEPA filter media is a must for nuclear power plants for their safe operation and they need to be constantly replaced. In order to test and commercially approve their product against global competition they need to import the key raw material, i.e. micro glass fibre (MGF) at competitive prices and also meeting their quality standards.

(ii) The technical characteristics of micro glass fibre (MGF) are different from glass fibre and also the process for making MGF is different. The main applications for MGF are in battery separator, air and liquid filter media. Even in filter media, MGF is primarily used in very fine filters, viz. High efficiency particle air (HEPA) and ultra-light

particle air (ULPA) media with applications in nuclear power plants, ph arm a, bio- technology, semi-conductor and medical applications such as blood filtration/ dialysis.

(iii) The flame attenuation process made to use MGF requires the use of natural gas as the main input forming more than 80% of the cost of MGF and for this reason MGF is made only in locations where natural gas is available plentiful as otherwise it would become uneconomical. Usage of both LNG and LPG are both not feasible due to enormous cost difference with regular piped natural gas (PNG). Secondly, the bulk density of MGF is very high leading to high transportation cost and therefore, MGF manufacturing happens merely where there is large consumption close-by.

(iv) For the reasons mentioned above MGF is made only by 2 companies (i) Johns Manville Corp in the United States and (ii) Lausha Fibre in Germany and by some companies in China. The petitioner has further stated that there are no manufacturers of MGF in India. The petitioner has stated that all MGF being used in India is being imported from one or the other of above sources and there is absolutely no injury to domestic producer ofthe glass fiber consequent to MGF imports.

(v) The petitioner has stated that given its very distinct highly energy intensive, and low- volume manufacturing process, MGF prices globally are far higher than conventional glass fibre - typically in the range of US$ 3-10 per kg, as against US$ 1-2 per kg for conventional glass fibre.

(vi) Physically also MGF has a very distinct appearance and surface area - more like cotton wool as opposed to the extruded strands of conventional glass fibre. It's. extremely high bulk density and fine fibre diameter and other characteristics render it unusable for conventional reinforcement applications in which regular glass fibre is used. Therefore, MGF and conventional glass fibre are commercially and physically non-substitutable.

(vii) DGAD in its final findings notification dated 6thJanuary, 2011 recommending imposition of anti-dumping duty had held "Micro-glass fibre imported from China is a specialty product and is different from the glass fibre. It is used in the manufacture of battery separators and high efficiency air and liquid filter media and has a special manufacturing process. There is no domestic manufacturer of this special low diameter glass fiber. Further, micro-glass fiber is being imported to produce separators which are being produced in India for the first time. Imports of micro-glass fiber have not caused injury to the domestic industry'. However, DGAD had in its final findings dated 6.1.2011 recognized the use of MGF in battery separators and exempted the same from the purview of antidumping duty.

(viii) MGF finds several other potential strategic applications given its versatile nature. MGF is not manufactured in India and there is no domestic industry in existence manufacturing MGF. In view of the foregoing, the petitioner requests that MGF without any end-use restrictions should be excluded from the purview of anti- dumping duty recommendation notification dated 6th January, 2011.

E SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

9. The domestic industry has made the following submissions:

(i) M/s Owens Coming Industries (India) Private Ld., Hyderabad in their letter dated 1.10.2013 has stated that they neither produce nor sell 'micro glass fibre' under the purview of mid-term review and therefore not likely to be affected by the outcome of the investigation. They have further stated that they support the application filed by M/s Raman Fibre Science. They have requested the Authority to exempt 'micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns' from the antidumping duty.

(ii) M/s Owens Coming (India) Private Ltd., Mumbai in their letter dated 1.10.20 l3 has stated that they neither produce nor sell 'micro glass fibre' under the purview of mid-term review and therefore not likely to be affected by the outcome of the investigation. They have further stated that they support the application filed by M/s Raman Fibre Science. They have requested the Authority to exempt 'micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns' from the antidumping duty.

F EXAMINATION BY THE AUTHORITY

10. The Authority has taken note of the submissions, arguments and the evidence provided by the interested parties and the information available on record. The Authority notes that M/s. Raman Fibre Science Private Ltd. has sought exclusion of 'micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns' from the ambit and scope of the antidumping duty as none of the domestic

producer of the subject goods manufactures the same in India. The Authority further notes that the aforesaid claim of the petitioner has been admitted by the two domestic producers, M/s Owens Coming Industries (India) Private Ltd., Hyderabad and M/s Owens Coming (India) Private Ltd., at whose request the anti-dumping investigation was initiated and in pursuance whereof the anti-dumping duty is presently in force on the subject goods. No other interested party has responded in the instant matter. The Authority has taken note of the fact that Mls Raman Fibre Science vide their letter dated 25th October, 2013 had stated that they had examined the responses filed by both the domestic producers and are in agreement with the specification of the micro glass fibre proposed by them. The Authority further notes that micro glass fibre with fibre diameter of 0.3 to 2.5 micron and conventional glass fibre are commercially and physically not substitutable. The Authority, therefore, holds that it would be appropriate to accede to the request ofM/s Raman Fibre Science Private Ltd. and recommend exclusion of 'micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns' from the ambit and scope ofthe antidumping duty.

11. The Authority had disclosed the essential facts/ basis considered for these findings to known interested parties with the request to offer their comments if any. However, response was received only from Mls Raman Fibre Science Private Ltd., who in their response has stated that they are in agreement with the final conclusion and recommendation as per point G 11 and G 12 ofthe Disclosure Statement.

G CONCLUSION AND RECOMMENDATION

12. In view of above facts, the Authority recommends that micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 - 2.5 microns be excluded from the ambit and scope of the anti- dumping duty recommended earlier vide Final Findings Notification No. 14/28/2009-DGAD dated 6 January, 2011 and imposed vide Customs Notification No.30/2011 dated 4th March, 2011 and corrigendum dated 31st March, 2011.

13. Accordingly, the Authority recommends that the foot note given under Duty Table mentioned in Authority's earlier final findings Notification No.l4/28/2009-DGAD dated 6th January, 2011 may be substituted with the following:

> "* glass fibre, including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue."

H FURTHER PROCEDURE

14. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions ofthe Customs Tariff Act, 1975.

J.S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.